

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937

No. 296]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

**फा. सं. पीएफआरडीए/17/आरईएस/25.**—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 45 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 के खंड 6 के उप-खंड 4 की शर्तों के अनुरूप प्राधिकरण, एतद्वारा फाइल संख्या पीएफआरडीए/17/आरईएस/25, दिनांक 8 मई 2015 के माध्यम से पूर्व में गठित पेंशन सलाहकार समिति को इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित सलाहकार समिति इस प्रकार होगी :—

1. श्री डी. वी. एस. एस. वी. प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरावेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
2. सुश्री डी. विजयालक्ष्मी, चेयर प्रोफेसर—लाइफ, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
3. श्री जी. एन. बाजपेयी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
4. श्री गगन राय, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीएल ई—गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
5. श्री लियो पुरी, निदेशक, द एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड इन इंडिया
6. डॉ. एल.एच. मंजूनाथ, कार्यकारी निदेशक, श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना
7. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक एवं निदेशक—क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट टॉवर वॉटसन, गुडगांव
8. सुश्री मेघना बाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कम्पनी लि.
9. श्री एम. वी. टंकसाले, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ
10. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक, द क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
11. श्री राघवेन्द्र लाल दास, मुख्य महाप्रबंधक—प्रभार, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
12. श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
13. श्री सुमंत्र गुहा, अध्यक्ष, बैंकिंग, बीमा और पेंशन समिति—इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
14. सुश्री त्रिशालजीत सेठी, उप महानिदेशक (स्थापना), डाक निदेशालय

15. मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार

प्राधिकरण का अध्यक्ष, पेंशन सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्य समिति के पदेन सदस्य होंगे।

हेमंत जी. कांटेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञा.-III/4/असा./203/15(185)]

## PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2015

**F. No. PFRDA/17/RES/25**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act 23 of 2013), and in terms of the sub-regulation 4 of the regulation 6 of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015, the Authority hereby reconstitutes the Pension Advisory Committee constituted earlier vide F. No. PFRDA/17/RES/25 dated 8th May, 2015 with effect from the date of this notification. The reconstituted Pension Advisory Committee is as under:—

1. Mr. D.V.S.S.V. Prasad, Chief Executive Officer, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India.
2. Ms. D. Vijayalakshmi, Chair Professor- Life, National Insurance Academy, Pune.
3. Mr. G. N. Bajpai, Chairman, National Pension System Trust.
4. Mr. Gagan Rai, Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Limited.
5. Mr. Leo Puri, Director, The Association of Mutual Funds in India.
6. Dr. L. H. Manjunath, Executive Director, Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project.
7. Mr. Kulin Patel, Senior Actuary and Director – Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon.
8. Ms. Meghana Baji, Chief Executive Officer, ICICI Prudential Pension Funds Management Co. Ltd.
9. Mr. M. V. Tanksale, Chief Executive, Indian Banks' Association.
10. Mr. R. Sridharan, Managing Director, The Clearing Corporation of India Ltd.
11. Mr. Raghavendra Lal Das, Chief General Manager-in-Charge, Human Resource Management Department, Reserve Bank of India.
12. Mr. Shailendra Kumar, Managing Director & CEO, SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
13. Mr. Sumantra Guha, Chairman of the Committee of Banking, Insurance and Pension of the Institute of Chartered Accountants of India.
14. Ms. Trishaljit Sethi, Deputy Director General (Establishment), Postal Directorate.
15. Principal Secretary, Finance, Government of Rajasthan.

The Chairperson and the members of the Authority shall be the ex officio Chairperson and ex-officio members of the Pension Advisory Committee.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./203/15(185)]